



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पे & अलावनसेस/ 32/6709
दिनांक:- 18.11.2019

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-320/2019

विषय:-Admissibility of payment of Extra Work Allowance (erstwhile Rajbhasha Allowance) to Sr. Scale, JA Grade and SA Grade officers entrusted with the administrative control of Hindi work, after completion of the period of one year.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(P&A)I-2017/SP-I/Genl-5 दिनांक 08.11.2019, RBE No.190/2019 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1.	E(P&A)I-2017/SP-I/Genl-5 dated 02.01.2018	29/2018

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-


Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (3 पृष्ठ)


18-11-19
(हफिज मोहम्मद)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.क्यू.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

E/R No - 320/2019
9/1

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(P&A)I-2017/SP-1/Genl-5

RBE No. 190/2019
New Delhi, dated 08.11.2019

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways & Production Units.

Sub: Admissibility of payment of Extra Work Allowance (erstwhile Rajbhasha Allowance) to Sr. Scale, JA Grade and SA Grade officers entrusted with the administrative control of Hindi work, after completion of the period of one year.

Ref: Board's letter No. E(P&A)I-2017/SP-1/Genl-5 dated 02.01.2018.


29/18

The conditions governing the admissibility of Extra Work Allowance (erstwhile Rajbhasha Allowance) to the Sr. Scale, JA Grade and SA Grade officers entrusted with administrative control of Hindi work are enumerated in Board's orders of even number dated 02.01.2018. References have been received in Board's Office seeking clarification regarding continuance of same officer as Rajbhasha Adhikari/ Chief Rajbhasha Adhikari/ Additional Rajbhasha Adhikari beyond the period of one year in absence of suitable eligible officer to be nominated as such and admissibility of Extra Work Allowance to them in view of the stipulated conditions that an employee shall receive this allowance for a maximum period of one year and that there should be a minimum gap of one year before the same employee is deployed for similar duties again.

2. The matter has been examined in Board's Office in consultation with Ministry of Finance (Department of Expenditure) and it has been decided that the conditions governing Extra Work Allowance are to be adhered to strictly by all the Railways. In case, however, a suitable replacement is still unavailable for being nominated as Rajbhasha Adhikari/ Chief Rajbhasha Adhikari/ Additional Rajbhasha Adhikari for the second year, the existing incumbent may continue to discharge his duties as Rajbhasha Adhikari/ Chief Rajbhasha Adhikari/ Additional Rajbhasha Adhikari for the second year also, but without payment of Extra Work Allowance. The payment of this Allowance will resume from the 3rd year, if the same officer(s) continue(s) to be nominated as Rajbhasha Adhikari/ Chief Rajbhasha Adhikari/ Additional Rajbhasha Adhikari. Similarly, in case the same employee continues to be entrusted with administrative control of Hindi Work for the 4th year, he will do so without payment of the Extra Work Allowance, which will resume in the 5th year, if the same officer(s) continue(s) to work as Rajbhasha Adhikari/ Chief Rajbhasha Adhikari/ Additional Rajbhasha Adhikari.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.


(N P Singh)
Joint Director/E(P&A)
Railway Board.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 130/2019

सं.ई(पी एण्ड ए)|-2017/एसपी-1/जनरल-5

नई दिल्ली, दिनांक 08.11.2019

महाप्रबंधक और प्रधान वित्तीय सलाहकार
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

विषय:- वरिष्ठ वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड और वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड अधिकारियों को सौंपे गए हिंदी कार्य के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त कार्य भत्ते के भुगतान की स्वीकार्यता।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 02.01.2018 का पत्र सं.ई(पी एण्ड ए)|-2017/एसपी-1/जनरल-5

वरिष्ठ वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड और वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड अधिकारियों को सौंपे गए हिंदी कार्य के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त कार्य भत्ते के भुगतान की स्वीकार्यता को शासित करने संबंधी शर्तों का बोर्ड के दिनांक 02.01.2018 के समसंख्यक आदेशों में उल्लेख किया गया है। बोर्ड कार्यालय में पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें राजभाषा अधिकारी/मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर राजभाषा अधिकारी के रूप में एक वर्ष की अवधि के बाद उपयुक्त पात्र अधिकारी की अनुपलब्धता में उसी अधिकारी को जारी रखने और अतिरिक्त कार्य भत्ते की स्वीकार्यता के लिए निर्धारित शर्त के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि कोई कर्मचारी यह भत्ता अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त करेगा और उसी कर्मचारी को पुनः समान कार्यों के लिए तैनात किए जाने में कम-से-कम एक वर्ष का अंतराल होना चाहिए।

2. बोर्ड कार्यालय में इस मामले की वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि अतिरिक्त कार्य भत्ता को शासित करने वाली शर्तों का रेलों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाना है। बहरहाल, यदि दूसरे वर्ष भी राजभाषा अधिकारी/मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर राजभाषा अधिकारी के रूप में नामित करने के लिए समुचित अधिकारी उपलब्ध न हो तो मौजूदा पदधारी दूसरे वर्ष भी राजभाषा अधिकारी/मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर राजभाषा अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे परन्तु इसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि उसी अधिकारी को तीसरे वर्ष भी राजभाषा अधिकारी/मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर राजभाषा अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है तो उन्हें तीसरे वर्ष से इस भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि उसी अधिकारी को चौथे वर्ष के लिए भी हिंदी कार्य का प्रशासनिक नियंत्रण सौंपा जाता है तो वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे परन्तु इसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा, इसका भुगतान पांचवें वर्ष में किया जाएगा यदि उसी अधिकारी को राजभाषा अधिकारी/मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर राजभाषा अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

320/2019

P/3

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
4. कृपया पावती दें।

(एन. पी. सिंह)

संयुक्त निदेशक/ई (पी एण्ड ए)
रेलवे बोर्ड

सं.ई(पी एण्ड ए)।-2017/एसपी-1/जनरल-5

नई दिल्ली, दिनांक 08.11.2019

प्रतिलिपि प्रेषित: भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224 रेल भवन, नई दिल्ली
(40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)

विक्रम जारबीजानि

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं.ई(पी एण्ड ए)।-2017/एसपी-1/जनरल-5

नई दिल्ली, दिनांक 08.11.2019

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं.253, रेल भवन नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
2. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा नं.256-ई, रेल भवन नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
4. महासचिव, फोआ कमरा नं.256-ए, रेल भवन नई दिल्ली
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन (05 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. महासचिव, इरपोफ, कमरा सं. 341-सी, रेलवे बोर्ड ।
8. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन ।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन ।
11. महासचिव, एआईआरपीएफ एसोसिएशन ।
12. महासचिव, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली -110001
13. ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्पलाइज़ एसोसिएशन।
14. महासचिव, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (रजि.), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुरुग्राम।
15. मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा, 16, अशोक रोड, लखनऊ।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

(प्राधिकार: वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का दिनांक 25 जून 2019 का का.जा.सं.एफ-12-3/2016-ई-111(ए)